भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3323
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

बाल देख-रेख संस्थाएं

3323. **श्री के. राधाकृष्णनः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कार्यशील पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान उक्त संस्थाओं का निरीक्षण किया है और यदि हां, तो इसमें पाए गए किसी भी प्रकार के उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है;
(ग) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाली संस्थाओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और
(घ) उक्त संस्थाओं में रहने वाले बच्चों की निगरानी को सुदृढ़ करने तथा उनकी सुरक्षा, पुनर्वास एवं कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। यह अधिनियम बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने वाला प्रमुख कानून है तथा इसे सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इस अधिनियम में राज्य और जिला स्तर पर संवैधानिक संरचनाएँ स्थापित करने

का प्रावधान है, जिनमें राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, बाल कल्याण समितियाँ, किशोर न्याय बोर्ड और जिला बाल संरक्षण इकाइयाँ शामिल हैं। इसमें बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) की स्थापना का भी प्रावधान है।

जेजे अधिनियम 2015 के तहत, बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) को अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों सहित देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। उन्हें बाल देखभाल संस्थाओं (सीसीआई) के क्रियाकलापों की निगरानी करने का भी दायित्व सौंपा गया है। इसी प्रकार, किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) को विधि का उल्लघंन करने वाले बच्चों के कल्याण से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम में सीसीआई में रहने वाले बच्चों के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने के लिए देखरेख और संरक्षण के मानकों को परिभाषित किया गया है तथा उसका उद्देश्य गैर-संस्थागत देखभाल सेवाओं के माध्यम से पारिवारिक वातावरण प्रदान करना है, जिसमें प्रायोजन, पालक देखभाल और पश्चात देखभाल शामिल हैं।

यह मंत्रालय राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के माध्यम से 'मिशन वात्सल्य' नामक केंद्र प्रायोजित योजना को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्व-निर्धारित लागत-साझाकरण के आधार पर क्रियान्वित कर रहा है, ताकि कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए विभिन्न सेवाएँ प्रदान की जा सकें जिनमें संस्थागत तथा गैर-संस्थागत दोनों प्रकार की देखभाल सेवाएँ शामिल हैं।

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 54 के तहत, राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन संस्थाओं की मूलभूत सुविधाओं और अवसंरचना का आकलन करने हेतु निरीक्षण समितियों की नियुक्ति करते हैं ताकि उनका स्तर कायम रखा जा सके। साथ ही, जेजे अधिनियम, 2015 की धाराएँ 32 से 34 अनिवार्य रिपोर्टिंग की प्रक्रिया का उल्लेख करती हैं, जिसमें रिपोर्ट न करने से संबंधित अपराध और उसके लिए दंड भी शामिल हैं।

जेजे अधिनियम, 2015 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति और जिला स्तरीय निरीक्षण समिति द्वारा बाल देखभाल संस्थाओं के निरीक्षण का प्रावधान है। जिला स्तरीय निरीक्षण समिति का गठन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है,

जिसमें अपर जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष होते हैं। जिला स्तरीय निरीक्षण समिति जिले के सभी सीसीआई का निरीक्षण करती है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार को प्रस्तुत करती है, ताकि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार सीसीआई में सुधार और विकास सुनिश्चित किया जा सके। इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए जिले में जिला मजिस्ट्रेट केंद्रबिंदु होने के कारण, वे निरीक्षण समितियों की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुधारात्मक उपाय किए जाएँ।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श और समन्वय से एकीकृत समरुप मिशन वात्सल्य पोर्टल तैयार किया है। लापता/पाए गए बच्चों के लिए ट्रैकचाइल्ड पोर्टल तथा लापता/देखे गए बच्चों के लिए खोया-पाया एप्लिकेशन को इस एकीकृत समरुप मिशन वात्सल्य पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। मिशन वात्सल्य पोर्टल का ट्रैकचाइल्ड मॉड्यूल विभिन्न हितधारकों जैसे गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण इत्यादि के सहयोग और सहभागिता से क्रियान्वित किया गया है। इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। इस पोर्टल के कार्यान्वयन के संबंध में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशक तथा अन्य हितधारक भी शामिल हैं, को परामर्श भी जारी किए गए हैं। यह गृह मंत्रालय की अपराध और अपराधी ट्रैकिंग एवं नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) के साथ भी एकीकृत है, जिससे संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस को लापता बच्चों का पता लगाने और उनका मिलान करने के लिए मिशन वात्सल्य पोर्टल के डेटाबेस के साथ लापता बच्चों की एफआईआर का मिलान करने की सुविधा मिलती है। इसके अतिरिक्त, खोया पाया मॉड्यूल के माध्यम से कोई भी नागरिक किसी भी लापता या देखे गए बच्चे के बारे में सूचना दे सकता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत वित्तपोषित बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) की राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

अनुलग्नक

बाल देख-रेख संस्थाएं विषय पर श्री के. राधाकृष्णन द्वारा पूछे गए दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3323 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 'मिशन वात्सल्य' के तहत वित्तपोषित राज्य और **संघ राज्य क्षेत्र** -वार बाल देखभाल संस्था (सीसीआई)

क्रम सं	**राज्य**	**'मिशन वात्सल्य' के तहत वित्तपोषित पंजीकृत सीसीआई की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	98
2	अरुणाचल प्रदेश	11
3	असम	91
4	बिहार	99
5	छत्तीसगढ़	102
6	गोवा	19
7	गुजरात	80
8	हरियाणा	31
9	हिमाचल प्रदेश	55
10	जम्मू और कश्मीर	60
11	झारखंड	46
12	कर्नाटक	156
13	केरल	44
14	मध्य प्रदेश	107
15	महाराष्ट्र	107
16	मणिपुर	99
17	मेघालय	58
18	मिजोरम	67
19	नागालैंड	62
20	ओडिशा	184
21	पंजाब	42
22	राजस्थान	147
23	सिक्किम	28
24	तमिलनाडु	317
25	तेलंगाना	67
26	त्रिपुरा	40
27	उत्तर प्रदेश	191
28	उत्तराखंड	45
29	पश्चिम बंगाल	208

30	अंडमान और निकोबार	14
31	चंडीगढ़	10
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4
33	लद्दाख	9
34	लक्षद्वीप	0
35	दिल्ली	39
36	पुदुचेरी	29
